बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या–मो०– 40/2014 3826 /कृ0, पटना, दिनांक 17-7-2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में :

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय : **जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स को प्रभावी बनाने के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि कृषि से संबद्ध विभागों के बीच अंतर्विभागीय समन्वय के दृष्टिकोण से जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स गठित है। खरीफ 2018 मौसम प्रारंभ हो चुका है।

2. जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की निम्नवत पुनः गठित किया जाता है :–

(i) अध्यक्ष :– जिला पदाधिकारी

(ii) उपाध्यक्ष :– उप विकास आयुक्त

(iii) सदस्य सचिव :– जिला कृषि पदाधिकारी

(iv) सदस्य :– परियोजना निदेशक (आत्मा), सहायक निदेशक (उद्यान), जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता (जल संसाधन विभाग), कार्यपालक अभियंता (लद्यु जल संसाधन विभाग), कार्यपालक अभियंता (विद्युत आपूर्ति), अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यकता आधारित नामित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी यथा कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र आदि।

3. **कृषि टास्क फोर्स का दायित्व :–**

(i) कृषि रोडमैप में वर्णित गतिविधयों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए विभागवार समीक्षा एवं अंतर्विभागीय समन्वय।

(ii) कृषि और संबद्ध प्रक्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा। (इस हेतु विभागीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए निर्धारित प्रपत्रों में प्रतिवेदन समर्पित किया जायगा)।

(iii) कृषि एवं संबंद्ध प्रक्षेत्रों के योजनाओं के लाभार्थियों के चयन में खुलापन एवं पारदर्शिता को बढ़ाना।

(iv) विभागीय पदाधिकारियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का सामयिक तटस्थ सत्यापन कराकर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करना।

4. इस पत्र के साथ कृषि एवं सम्बद्ध विभाग द्वारा कार्यन्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की सूची संलग्न है। आवश्यकतानुसार अन्य योजनाओं की सूची जिला स्तरीय पदाधिकारियों से प्राप्त कर ली जाय।

5. पूर्व संसूचित दिशानिर्देश के आलोक में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक मंगलवार को अप० 03:00 बजे आयोजित की जाय।

6. बैठक की कार्यवाही नियमित तौर पर संधारित की जाय।

7. जिला कृषि पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव का यह दायित्व होगा कि बैठक की कार्यवाही बैठक की तिथि के दूसरे दिन अनिवार्य रूप में कृषि एवं अन्य संबद्ध विभागों को प्रेषित करें।

8. जिला पदाधिकारियों से यह अनुरोध है कि जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक के क्रम में किसी भी बिन्दु पर विभागीय सचिव का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक हो तो वे तुरंत तद्नुसार सूचित करेंगे ताकि संबंधित विभाग द्वारा सामयिक एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

9. यह सुनिश्चित किया जाय कि जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक अनिवार्य रूप से नियमित तरीके से आयोजित की जाय तथा कृषि रोडमैप के अंतर्गत जिलों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि शत–प्रतिशत सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास किया जाय।

विश्वासभाजन,
16.7.2018
(सुधीर कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 3826 / दिनांक 17-7-18 /

प्रतिलिपि– सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त निदेशक(शष्य) परिक्षेत्र/सभी जिला सहायक उद्यान पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

16.7.2018
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 3826 / दिनांक 17-7-18 /

प्रतिलिपि– सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

16.7.2018
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 3826 / दिनांक 17-7-18 /

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16.7.2018
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 3826 / दिनांक 17-7-18 /

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार/माननीय मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16.7.2018
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 3826 / दिनांक 17-7-18 /

प्रतिलिपि– कुलपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूर्वी क्षेत्र के लिए, बिहार भेटनरी कॉलेज के समीप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

16.7.2018
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 3826 / दिनांक 17-7-18 /

प्रतिलिपि– आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

16.7.2018
सरकार के प्रधान सचिव।

जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स (साप्ताहिक बैठक) में समीक्षा हेतु मुख्य बिन्दु :–

1. कृषि विभाग, द्वारा संचालित योजनायें / कार्यक्रम।

1.1 विभिन्न फसलों के आच्छादन / वर्षापात की स्थिति की समीक्षा।

1.2 उर्वरक, कीटनाशी एवं बीज की उपलब्धता / वितरण की समीक्षा।

1.3 कीटनाशी नमूना / बीज नमूना / उर्वरक नमूना का संग्रहन विश्लेषण एवं प्रवर्त्तन कारवाई की समीक्षा।

1.4 उर्वरक / बीज / कीटनाशी व्यापारियों के विरूद्ध की गई छापेमारी की समीक्षा।

1.5 बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण।

1.6 श्री विधि / धान / गेहूँ प्रत्यक्षण कार्यक्रम।

1.7 संकर धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम।

1.8 अनुदानित दर पर बीज वितरण कार्यक्रम।

1.9 केन्द्रीय बीज ग्राम योजना।

1.10 एकीकृत बीज ग्राम योजना।

1.11 बदलते मौसम के अन्तर्गत अरहर, मडुआ एवं मक्का प्रत्यक्षण कार्यक्रम।

1.12 पैडी ट्रांसप्लांटर / ड्रम सीडर एवं जीरों टिलेज तकनीक से धान / गेहूँ की बुआई।

1.13 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम।

1.14 श्री विधि अन्तर्गत रोपनहार प्रशिक्षण कार्यक्रम।

1.15 सामुदायिक नर्सरी योजना।

1.16 गहरे पानी का धान प्रत्यक्षण।

1.17 जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम।

1.18 राज्य योजना अन्तर्गत अन्न भंडारण हेतु गोदाम निर्माण एवं धातु कोठिला का वितरण।

1.19 कृषि यांत्रिकरण योजना।

1.20 डीजल अनुदान वितरण का प्रखण्डवार समीक्षा।

1.21 मिट्टी जाँच नमूनें का संग्रहन / विश्लेषण एंव मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण की समीक्षा।

1.22 आत्मा द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा।

1.23 दियारा/टाल विकास योजना की समीक्षा।

1.24 ई–किसान भवन एवं जिला कृषि भवन के निर्माण की समीक्षा।

1.25 मुख्यमंत्री बागवानी मिशन।

1.26 राष्ट्रीय बागवानी मिशन।

1.27 राष्ट्रीय सब्जी प्रोत्साहन योजना।

2. लघुसिंचाई विभाग

2.2 राजकीय नलकूपों की स्थिति।

2.2 बिहार शताब्दी निजी नलकूप समीक्षा।

3. सिंचाई विभाग

3.1 नहरों द्वारा उसके अन्तिम बिन्दु तक सिंचाई हेतु पानी पहुँचाने की स्थिति की समीक्षा।

4. राज्य में विद्युत आपूर्ति

4.1 ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्ति की समीक्षा।

5. सहकारिता विभाग

5.1 बिहार राज्य फसल सहायता योजना की समीक्षा।

6. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा।

7. किसान क्रेडित कार्ड/कृषि ऋण की समीक्षा।

8. अन्यान्य।